

**::आदेश::**

वाणिज्य कर विभाग के कर निर्धारण कार्यालयों का वर्ष 2019-20 एवं डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0)/आहरण वितरण अधिकारी कार्यालयों का वर्ष 2020-21 से सम्बन्धित आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया जा रहा है:-

**डिप्टी कमिश्नर/असि0 कमिश्नर (क0नि0/प्रशा0)/आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0) एवं सम्परीक्षा दल को निर्देश:-**

1. डिप्टी कमिश्नर/असि0 कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी (कर निर्धारण), निर्धारित सम्परीक्षा अवधि में निस्तारित समस्त कर निर्धारण वादों की शत-प्रतिशत सूची निम्न प्रारूप-2 पर सम्बन्धित पत्रावलियों के साथ सम्परीक्षा दल को पहुंचते ही अनिवार्यतः प्रस्तुत करेंगे ताकि समय के अन्दर सम्परीक्षा कार्य पूर्ण हो सके।

**प्रारूप-2 (कर निर्धारण)**

क्र0सं0	व्यापारी का नाम	वर्ष	प्रा0/के0	आदेश की तिथि	सकल क्रय/विक्रय धन	आरोपित कर
---------	-----------------	------	-----------	--------------	--------------------	-----------

2. डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0)/आहरण वितरण अधिकारी, सम्परीक्षा दल के पहुंचने पर वर्ष 2020-21 से सम्बन्धित 11 सी रजिस्टर, वेतन पंजी, कन्टीजेन्सी रजिस्टर व वाउचर, टेलीफोन रजिस्टर व वाउचर, कैशबुक, स्टॉक रजिस्टर, वाहनों की लागबुक, जी0पी0एफ0 पासबुक एवं लेजर तथा कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा पुस्तिकायें (कार्मिकों की संवर्गवार सूची सहित), जी0पी0एफ0 एडवॉन्स रजिस्टर आदि तथा अन्य वांछित अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सम्परीक्षा दल द्वारा वर्ष 2020-2021 से सम्बन्धित उक्त अभिलेखों की सम्परीक्षा के साथ सभी कर्मचारियों/अधिकारियों की वेतन निर्धारण आदेशों की विस्तृत सम्परीक्षा की जायेगी।

3. सम्परीक्षा दल प्रभारी सम्परीक्षा कार्यक्रम के प्रथम दिवस को वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने पर जोनल एडीशनल कमिश्नर से सम्पर्क करेंगे एवं एडीशनल कमिश्नर ((लेखा) वाणिज्य कर, मुख्यालय को फोन द्वारा सूचित करते हुए लिखित रूप से स्पष्ट आख्या सहित सूचना भेजेंगे।

4. महालेखाकार द्वारा जिन कर निर्धारण कार्यालयों की प्रस्तावित अवधि की सम्परीक्षा सम्पादित की जा चुकी है उन कार्यालयों की सम्परीक्षा मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-202 दिनांक 26.05.2010 के प्रस्तर-5 के क्रम में महालेखाकार सम्परीक्षा अवधि के बाद की अवधि की सम्पादित की जाएगी।

5. सम्परीक्षा दल द्वारा समय से पहुंच कर निर्धारित समय के अन्दर ही समस्त अभिलेखों की अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत सम्परीक्षा पूर्ण करनी है। सम्परीक्षा अवधि बढ़ायी नहीं जायेगी। यदि सम्परीक्षा अवधि के मध्य अवकाश पड़ रहा है तो सम्बन्धित कार्मिक उपस्थित रहते हुए सम्परीक्षा दल को अभिलेख उपलब्ध करायेंगे।

6. कोविड-19 प्रकोप के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा। निर्वाचन ड्यूटी योजित होने पर तदानुसार अनुपालन किया जायेगा। उक्त के दृष्टिगत यदि सम्परीक्षा दल सदस्य सम्परीक्षा कार्य में उपस्थित नहीं होते हैं तो तत्काल इसकी सूचना मुख्यालय उपलब्ध करायेंगे।

7. सम्परीक्षा दलों द्वारा नित्यप्रतिदिन किये गये सम्परीक्षा के रफनोट्स जारी किये जायेंगे तथा कार्यालय प्रभारी से जारी रफनोट्स पर बिन्दुवार आख्या प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या-आं0सं0- परिपत्र-16 ((4) 2005-06/1497/वा0क0 दिनांक 16.02.2006 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना भी सुनिश्चित करें।

8. सम्बन्धित लेखा परीक्षक/वरिष्ठ लेखा परीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्यालयों की आन्तरिक सम्परीक्षा मुख्यालय के परिपत्र संख्या-16 ((4) परिपत्र सामान्य- 2002-03/85 दि0 19.05.2003 में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्पन्न करना सुनिश्चित करें।

9. सम्परीक्षा दल के सदस्यों को सम्परीक्षा अवधि में सामान्यतः किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि किसी सदस्य को अवकाश पर जाना पड़े तो वह अपना लिखित प्रार्थनापत्र सम्परीक्षा कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को अवकाश पर जाने के पूर्व उपलब्ध करायेंगे जो प्रार्थनापत्र को अविलम्ब एडीशनल कमिश्नर लेखा मुख्यालय को अग्रसारित करेंगे।

6/

10. सम्परीक्षा दल के सदस्यों द्वारा सम्परीक्षा के दौरान जो भी आपत्ति उठाई जाती है उसमें जीएसटी/वैट अधिनियम तथा परिपत्र एवं न्यायिक निर्णयों जिनका उल्लंघन हो रहा है, का उल्लेख अवश्य किया जाय।
11. सम्परीक्षा दल प्रभारी, सम्परीक्षा कार्यक्रम के मध्य निर्धारित कार्यालय कार्य दिवसों में, सम्प्रेक्षित कार्यालयों के प्रतिवेदन आलेख तैयार कर अनिवार्यतः मुख्यालय उपलब्ध करायेंगे।
12. आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम में उल्लिखित स्थानों पर ठहरने के लिए (10 दिनों से अधिक ठहराव हेतु) व्यय किया जाना अपरिहार्य है, अतः द्वितीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 के नियम 27 डी (2) के परिशिष्ट 10 के क्रमांक 2 के अनुसार 10 दिनों से अधिक का अवस्थान होने पर अवस्थान की सीमा से विमुक्त किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

—:आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम:—

पार्टी सं०	सम्परीक्षा दल के सदस्य	तैनाती कार्यालय	सम्परीक्षा कार्यालय	वर्ष	निर्धारित सम्परीक्षा तिथि
1-	श्री आशुतोष त्रिपाठी, वरिष्ठ लेखा परीक्षक (प्रभारी) श्री सौरभ गुप्ता, वरिष्ठ लेखा परीक्षक	नोयडा	खण्ड-5 प्रयागराज	2019-20	24.01.22 से 29.01.22 तक
			खण्ड-3 लखनऊ	2019-20	07.02.22 से 11.02.22 तक
		मुरादाबाद	खण्ड-1 बदायूं	2019-20	14.02.22 से 19.02.22 तक
			खण्ड-1 बुलन्दशहर	2019-20	21.02.22 से 26.02.22 तक
2-	श्री आशुतोष त्रिपाठी, व०ले०प०(प्रभारी) श्री अब्दुल राशिद, व०ले०प० श्री विजयशंकर मौर्य, व०ले०प० श्री सौरभ गुप्ता, व०ले०प०	नोयडा गोरखपुर गोरखपुर मुरादाबाद	आह० वि० अधिकारी गाजियाबाद	2020-21	31.01.22 से 05.02.22 तक
3.	श्री सत्येन्द्र उपाध्याय, वरिष्ठ लेखा परीक्षक (प्रभारी) श्री सन्तोष प्रसाद, वरिष्ठ लेखा परीक्षक	वाराणसी	खण्ड-8 अलीगढ़	2019-20	31.01.22 से 05.02.22 तक
		वाराणसी	खण्ड कौशाम्बी	2019-20	07.02.22 से 11.02.22 तक
			खण्ड-3 कानपुर	2019-20	14.02.22 से 19.02.22 तक
			खण्ड-4 बरेली	2019-20	21.02.22 से 26.02.22 तक
		आह० वि० अधि०फतेहपुर	2020-21	28.02.22 से 02.03.22 तक	
4.	श्री अमिताभ सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षक (प्रभारी) श्री राम लाल, वरिष्ठ लेखा परीक्षक	मुख्यालय	खण्ड-3 गाजीपुर	2019-20	17.01.22 से 22.01.22 तक
		प्रयागराज	खण्ड-4 मथुरा	2019-20	24.01.22 से 29.01.22 तक
			खण्ड-1 हाथरस	2019-20	07.02.22 से 11.02.22 तक
			खण्ड-5 नोएडा	2019-20	14.02.22 से 19.02.22 तक
			खण्ड-4 सहारनपुर	2019-20	28.02.22 से 05.03.22 तक
5.	श्री विजय बहादुर तिवारी, वरिष्ठ लेखा परीक्षक (प्रभारी) श्री विश्व प्रकाश सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षक	प्रयागराज	खण्ड-4 बलिया	2019-20	17.01.22 से 22.01.22 तक
		वाराणसी	खण्ड-11 सहारनपुर	2019-20	24.01.22 से 29.01.22 तक
			खण्ड-15 लखनऊ	2019-20	31.01.22 से 05.02.22 तक
			खण्ड-2 नजीबाबाद	2019-20	14.02.22 से 19.02.22 तक
			खण्ड-6 बरेली	2019-20	21.02.22 से 26.02.22 तक
6.	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ लेखा परीक्षक (प्रभारी) श्री अरुण कुमार, वरिष्ठ लेखा परीक्षक	आगरा	खण्ड-9 नोएडा	2019-20	24.01.22 से 29.01.22 तक
		मुख्यालय	खण्ड-14 कानपुर	2019-20	31.01.22 से 05.02.22 तक
			खण्ड-1 बिजनौर	2019-20	07.02.22 से 11.02.22 तक
			खण्ड-1 देवबन्द	2019-20	21.02.22 से 26.02.22 तक
			आह० वि० अधि०अमरोहा	2020-21	28.02.22 से 02.03.22 तक
7.	श्री रज्जन लाल, वरिष्ठ लेखा परीक्षक (प्रभारी) श्री राजीव आनन्द, लेखा परीक्षक	कानपुर	खण्ड-3 हरदोई	2019-20	24.01.22 से 29.01.22 तक
		मुरादाबाद	खण्ड-2 बांदा	2019-20	07.02.22 से 11.02.22 तक
			खण्ड-2 फर्रुखाबाद	2019-20	14.02.22 से 19.02.22 तक
			खण्ड-1 फिरोजाबाद	2019-20	21.02.22 से 26.02.22 तक
8.	श्री अब्दुल राशिद, व०ले०प०(प्रभारी)	गोरखपुर	खण्ड-1 भदोही	2019-20	24.01.22 से 29.01.22 तक

६

	श्री विजयशंकर मौर्य, व०ले०प० श्री राजकुमार मद्देशिया व०ले०प०	गोरखपुर	खण्ड-3 गोण्डा	2019-20	07.02.22 से 11.02.22 तक
		गोरखपुर	खण्ड-2 बहराईच	2019-20	14.02.22 से 19.02.22 तक
			खण्ड -1 बलिया	2019-20	21.02.22 से 26.02.22 तक
			आह० वि० अधि० बस्ती	2020-21	28.02.22 से 02.03.22 तक
			आह० वि० अधि० जौनपुर	2020-21	03.03.22 से 05.03.22 तक
9.	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षक (प्रभारी) श्री सावन कुमार गुप्ता, व०ले०प०	झांसी	खण्ड-3 रामपुर	2019-20	17.01.22 से 22.01.22 तक
		मुख्यालय	खण्ड-14 नोएडा	2019-20	14.02.22 से 19.02.22 तक
			खण्ड-1 बरेली	2019-20	21.02.22 से 26.02.22 तक
			खण्ड- सरधना	2019-20	28.02.22 से 05.03.22 तक
10.	श्री निहाल सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षक (प्रभारी) श्री विष्णुशंकर मिश्र, वरिष्ठ लेखा परीक्षक	अयोध्या	खण्ड-1 ग्रेटर नोएडा	2019-20	10.01.22 से 15.01.22 तक
		अयोध्या	खण्ड-5 जौनपुर	2019-20	17.01.22 से 22.01.22 तक
			खण्ड-20 कानपुर	2019-20	31.01.22 से 05.02.22 तक
			खण्ड-2 बड़ौत	2019-20	14.02.22 से 19.02.22 तक
			खण्ड-1 ललितपुर	2019-20	21.02.22 से 26.02.22 तक
11.	श्री अब्दुल हादी खान, वरिष्ठ लेखा परीक्षक (प्रभारी) श्री अनूप कुमार द्विवेदी, वरिष्ठ लेखा परीक्षक	अयोध्या	खण्ड-1 बाराबंकी	2019-20	03.01.22 से 08.01.22 तक
		मुख्यालय	खण्ड-3 ग्रेटर नोएडा	2019-20	17.01.22 से 22.01.22 तक
			खण्ड-11 गाजियाबाद	2019-20	07.02.22 से 12.02.22 तक
			खण्ड-2 अमरोहा	2019-20	14.02.22 से 19.02.22 तक
			खण्ड-3 शामली	2019-20	21.02.22 से 26.02.22 तक
12.	श्रीमती परिणीता दीक्षित व०ले०प० (प्रभारी) श्रीमती मनीषा देवी, व०ले०प० श्रीमती दीप्ति कश्यप, व०ले०प०	कानपुर	खण्ड-1 रायबरेली	2019-20	17.01.22 से 22.01.22 तक
		वाराणसी नोयडा	खण्ड-1 जौनपुर	2019-20	31.01.22 से 05.02.22 तक
			खण्ड-4 सुल्तानपुर	2019-20	07.02.22 से 11.02.22 तक
			खण्ड-2 प्रतापगढ़	2019-20	14.02.22 से 19.02.22 तक

हूँ

(मिनिस्ती एस०)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**पुं०प०सं० व दिनांक उक्त।**

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उ०प्र०, 510/217, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।
2. एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बंधित जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बंधित जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि०अनु०श०), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर, (आई०टी०), वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
6. सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर, (कार्यपालक), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बंधित डिप्टी/असि० कमिश्नर (क०नि०/प्रशासन)/आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. सम्बंधित वरिष्ठ लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक को अनुपालनार्थ।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।